न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/4/2018

1. चतराराम पुत्र जीवणराम जाति बलाई निवासी ग्राम बासनी (भूमा) तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)

–वादी

बनाम

1. जीवणराम पुत्र भेभाराम
2. राजू पुत्र रामकुवार
3. हरिप्रसाद पुत्र रामकुवार
4. कान्ता पुत्री रामकुवार
5. जगदीश पुत्र हरदेवाराम
6. केशा पुत्र हरदेवाराम
7. सवाई पुत्र हरदेवाराम
8. प्रेम देवी पुत्री हरदेवाराम
9. सुरेश पुत्र हरदेवाराम
10. धन्नाराम पुत्र पन्नाराम
11. गोरूराम पुत्र पन्नाराम
12. रामदेवाराम पुत्र पन्नाराम
13. गणेशाराम पुत्र पन्नाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम बासनी (भूमा) तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)

14. पटवारी हल्का भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
15. उपपंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज.
16. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– **दिनांक–28.06.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि आराजी खसरानम्बर 144 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित आराजी है जिन्हे आगे वादगस्त आराजी के नाम से सबोधित किया जावेगा। यह कि वादी व पव्रतिवादी संख्या 1 उक ही हिन्दु मिताक्षरा परिवार के सदस्य है।

यह कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 4.27 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित आराजी है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 में पैतृक वंशानुगत की कृषि काश्त की आराजी है जिनमें मुताबिक सजरा खानदान वादी का 1/18 हिस्सा है तथा इसी कदर इनका मौके पर कब्जा, काश्त उपयोग, उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जीवणराम जो वादी का पिता कि उक्त आराजी को अन्य प्रतिवादीगण से मिली भगत करके बेचान करने में लगा हुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन मौके पर भूमाफियाओं को लाकर विक्रय का सौदा करने का प्रयास कर रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादी को खातेदारी से पूर्णतया वंचित रखना चाहता, आराजी पैतुक वंशानुगत की होंनें के आधार पर प मौके पर वादी अपने हिस्से पर काबिज, काश्त होने के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी में 1/18 हिस्सा भूमि भाग की उद्घोषणा अपने नाम से करवाये जाने के अधिकारी है एवम् आराजी का माप व सीमाकंन से अलग अलग लगान व जुदागना कब्जा निर्धारित फरमाया जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी पैतृक वंशानुगत की कृषि काश्त की आराजी है निमें वादी का 1/18 हिस्सा है लेकिन वादी को वादग्रस्त आराजी जो पैतृक वंशानुगत की है में इनके विधिक हिस्से से पूर्णतया वंचित रखना चाहते है तथा गलत रूप से बेचान`रनं पर उतारू है निको ऐसा करने का कोई विधिक हक, अधिकार नही है तथा वादी को हक, अधिकारों के समक्ष कतई अकृत, शून्य व प्रभावहीन है जबकि आराजी को अपने हक, हिस्से अनुसार मौके पर काबिज, काश्त है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये निषेद्याज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि अपने नाम से दर्ज अपने हक हिस्से से अधिक की खातेदारी की आड़ में आराजी को खुर्द–बुर्द करने करवाने, विक्रय, रहन, अन्य स्थानान्तरण करने करवाने से, वादी के एकांतिक कब्जे, कसश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही कर व मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वादग्रस्त आराजी पैतृक वंशानुगत की होने के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में बखुबी साबित होने से अपने खातेदारी की उद्घोषणा करवाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये जाने के अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी को रिकार्ड दुरूस्त करवाकर वादग्रज्ञत आराजी का विभाजन करवा लेने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया किन्तु बात टाल मटोल करते एवं अन्त में दिनांक 10.12.2017 से स्पष्ट इंकार हो गये इंकारी के दिन से बाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक है।

यह कि वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 सह खातेदार होने से एवंम् प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 राजस्व कर्मचारी अधिकारी, भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है, प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 के खिलाफ सीध्सी सहायता नही चाही गई है।

यह कि वादग्रस्त आराजी ग्रम बासनी भूमा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र 6/– रूपये न्याय शुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी/प्रार्थी इस्तदुआ करते है कि वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 3.05 हैक्टेयर में अवस्थित आराजी है जिनमें से वादी को 1/18 हिस्सा भूमि भाग के काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें तथा खाता प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्से से अधिक का निरस्त घोषित फरमाया जावें एवम् अन्य प्रतिबादीगण की खातेदारी को यथावत रखा जावें एवम् आराजी का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान व जुदागाना कब्जा निर्धारित फरमाया जावें। यह कि प्रतिवादी गण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी को खुर्द–बुर्द करवाने,विक्रय, रहन, अन्य स्थानान्त्रण करने करवाने से, वादी को एंकातिक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। यह कि अन्य न्यायाचित सहायता जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 कि ओर से उनके अभिभाषक आये पर जवाब पेश नहीं किया। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प भूमा बड़ा में पेश हुई। कैम्प स्थल पर जीवणराम के अन्य वारिसान बनवारीलाल, अशोक कुमार पुत्रगण जीवणराम, बसंती देवी, कमला, बबीता, सुमन, सुलोचना पुत्रीयागण जीवणराम स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश कर प्रकरण दावा में पक्षकार बनने का निवेदन किया। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। जिसके प्रत्युत्तर में वादी स्वयं चतराराम(जो कि स्वयं जीवणराम का जाइंदा पुत्र है) ने उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का जवाब न देकर उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति का अंकन किया। उभयपक्ष को सुना, पत्रावली व प्रस्ततु प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेखों आदि का अवलोकन किया। जीवणराम के अन्य वारिसानों द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र युक्तियुक्त व वादी के अनापत्ति के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण दावा में उक्त जीवणराम के अन्य वारिसानों (अन्य दो पुत्र व पांच पुत्रियों) को प्रकरण दावा में प्रतिवादीगण सं. 17 ता 23 तक के कम में बतौर पक्षकार प्रतिवादीगण संयोजित किया जाता है।

कैम्प स्थल पर ही वादी स्वयं, प्रतिवादी सं. 1 स्वयं तथा प्रतिवादीगण सं. 17 ता 23(नवीन संयोजित पक्षकार) स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी (भूमा बड़ा) में हमारा सभी का हक हिस्सा है लेकिन श्रवण गोद जाने से उक्त जमीन में उसका हिस्सा नहीं होने व हम सभी बहिनों ने उक्त दोनों खसरा सं. की जमीन को भाईयों व पिता के हक में हकपरित्याग करना स्वीकार किया है। इसलिए उक्त दोनों खसरा नम्बर की जमीन में जो कुल 32.94 बीघा जमीन है में जीवणराम (पिता) बनवारी, चतराराम, अशोक(भाईयों) को आपस में 1/4 हिस्सा बंटवारा तय किया गया है। अतः उक्तानुसार राजीनामा के अनुसार हमारा बंटवारा किया जावें। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त प्रस्तुत राजीनामा विधिसम्मत व सहमति का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण दावा में जीवणराम की पुत्रियां बसन्ती देवी, कमला देवी, बबीता देवी, सुमन देवी, सुलोचना देवी ने अपने पिता जीवणराम व अपने भाईयों बनवारीलाल, चतराराम, अशोक कुमार के हक में हक परित्याग पेश किया जिसमें वर्णित तथ्यों के अनुसार उक्त जीवणराम की पांचों पुत्रियों ने वर्णित आराजियात में अपना संपूर्ण हिस्सा भूमि भाग को अपने पिता जीवणराम व भाईयों बनवारीलाल, चतराराम, अशोक कुमार के हक परित्याग करने का निवेदन किया। उक्त प्रस्तुत हक–परित्याग बाबत की गई सहमति को स्वीकार किया जाता है। चूंकि इस पर मुद्रांक शुल्क देय है जिसका

नियमानुसार मुद्रांक शुल्क कर अदा करने पर ही दावे में चाही गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उपस्थित उभयपक्ष ने उक्त प्रस्तुत हकपरित्याग के अनुसार राजीनामा मुताबिक वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत राजीनामा, बहनों द्वारा किया गया हक–परित्याग व श्रवण कुमार के गोद जाने की स्वीकारोक्ति के व उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी (भूमा बड़ा) में वर्तमान जमाबंदी में जीवणराम के हिस्से का संपूर्ण खाता निरस्त किया जाकर जीवणराम, बनवारी, चतराराम व अशोक कुमार को जीवणराम के हिस्से में समभाग बहिस्सा बराबर के काबिज, खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही जीवणराम की पुत्रियां बसन्ती देवी, कमला देवी, बबीता देवी, सुमन देवी, सुलोचना देवी आदि के हक जिसका सहमती से अपने पिता व भाईयों के पक्ष में किये गयं हक–परित्याग के मुद्रांक शुल्क जमा करवाये जाने के बाद ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट भूमा बड़ा में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

चतराराम बनाम जीवणराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 04/2018 **निर्णय दिनांक– 28.06.2018**

वादी..... व प्रतिवादीगण.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28.06.2018** को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 4.27 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 3.05 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी (भूमा बड़ा) में वर्तमान जमाबंदी में जीवणराम के हिस्से का संपूर्ण खाता निरस्त किया जाकर जीवणराम, बनवारी, चतराराम व अशोक कुमार को जीवणराम के हिस्से में समभाग बहिस्सा बराबर के काबिज, खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही जीवणराम की पुत्रियां बसन्ती देवी, कमला देवी, बबीता देवी, सुमन देवी, सुलोचना देवी आदि के हक जिसका सहमती से अपने पिता व भाईयों के पक्ष में किये गयं हक–परित्याग के मुद्रांक शुल्क जमा करवाये जाने के बाद ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 28.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official